

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र05(2)बजट(योजना)-22/2014-48(वज्र) / खाद्य,पटना-15,दिनांक- 27.07.17

प्रेषक,

भरत कुमार दुबे,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :-

मुख्यशीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष 0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0- पी0-3456007890302, मांग संख्या-18 राज्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कुल 15,68,77,000 (पंद्रह करोड़ अड़सठ लाख सतहत्तर हजार) रुपये मात्र आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति ।


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत निर्गत विभागीय स्वीकृत्यदेश सं0-309 दिनांक 22.12.2016 के आलोक में मुख्यशीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष 0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0-पी0-3456007890302 मांग संख्या-18 राज्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि0 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक 4572/वि0 दिनांक 03.06.2016 एवं पत्रांक 423/वि0 दिनांक 31.03.2016 में निहित निदेश के अनुपालन में निम्नांकित तालिका के अनुसार आवंटित करते हुए आवश्यकतानुसार/ नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

क्र0	ईकाइ का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आय-व्ययक उपबंध	वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु आवंटित की जाने वाली राशि
1	33 01 सब्सिडी	2,12,16,34,000	15,68,77,000

कुल 15,68,77,000 (पंद्रह करोड़ अड़सठ लाख सतहत्तर हजार) रुपये मात्र

- इस राशि की निकासी राज्य योजना के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3456 सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-18, उपशीर्ष 0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0-पी0 3456007890302 विषय शीर्ष 33-01 सब्सिडी (अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत विकलनीय होगी ।
- इस राशि की निकासी पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में की जाएगी । राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जाएगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है । गलत एवं अधिक निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे ।
- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-309 दिनांक 22.12.2016 के आलोक में राशि आवंटित की जाती है ।
- राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी



6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि प्रत्येक माह में निकासी एवं व्यय की गयी राशि का ईकाइवार विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा देंगे, अन्यथा व्यय संबंधी किसी भी गड़बड़ी के लिए पूर्णत जिम्मेवार होंगे।
7. दिये गये आवंटन प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
8. विभागीय पत्रांक 157 दिनांक 18.01.2017 के आलोक में आवंटन निर्गत किया जाता है

विश्वासभाज

सरकार के अपर सचिव।

खाद्य, पटना/दिनांक- 27.01.17

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट(योजना)22/2014 48 (अ072)
प्रतिलिपि-महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

खाद्य, पटना/दिनांक- 27.01.17

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट(योजना)22/2014 48 (अ072)
प्रतिलिपि-वित्त विभाग, (बजट शाखा) बिहार, पटना एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार,
सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

खाद्य, पटना/दिनांक- 27.01.17

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट(योजना)22/2014 - 48 (अ072)
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-
प्रतियों में) एवं आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।